

( नियम 26 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कांठ्यालाल बनाम अम्बालाल

न मुकदमा ..... वा.स. नं० 35 सन् 2017

हुक्म या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकान जो इस  
हुक्म की तारीख  
ने जारी हुए

1-17

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14-3-17 को पेश हो!

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

14-3-17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तारीख 14-3-17 को वकील वादी ने इच्छा किया कि पत्रावली के तहत आपकी राजीनामा हो गया है। इस कारण आपकी राजीनामा कार्रवाई करवाया जा रहा है। इसका इतिहास पत्रावली दिनांक 21-3-17 को पेश है।

21-3-17

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी व वादी के वकील उपस्थित नहीं। वादी व वादी के वकील को इतिहास की मर्तवा विनिवृत्त करवाकर निकाले जाते हैं। उपरोक्त भी समय 5-30 PM. तक उपस्थित नहीं होने के कारण वादी का कांड पत्रावली राजीनामा करवाकर पेश करवाया जा रहा है। पत्रावली प्रकृत शमाद की जाकर दफ्तर कार्रवाई है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा